5 रु. Rs.5 INDIA 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 INDIA रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अवमानना प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर निविदा–9039 I–16

1. विजितेन्द्र सिंह पुत्र श्री अभिलाख सिंह
2. धर्मपाल पुत्र श्री कनीराम
3. राजवीर पुत्र श्री कनीराम
4. निवासीगण– सारसल्ला तहसील कराहल जिला–श्योपुर (म.प्र.)
5. लेखराज पुत्र श्री मांगीलाल निवासी – सावडी तहसील कराहल जिला श्योपुर (म.प्र.)

...... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–श्योपुर (म.प्र.)
2. भरत कुमार तहसीलदार कराहल जिला –श्योपुर

...... प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा (2) 12 अवमानना अधिनियम बावत प्रकरण क्रमांक 3383-I/2015 निगरानी में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 15.02.2016 के उल्लंघन बावत।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक **3383–I/2015** अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम आदेश दिनांक 15.02.2016 पारित किया है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण का पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कराहल को यह निर्देश दिये थे कि बंदोबस्त वर्ष 2013–14 के अनुसार कम्प्यूटर खसरे में दर्ज करवाये एवं प्रार्थीगण को खसरा भू–अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराये। (इस संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है)।

2– यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के हित में जारी अन्तिम आदेश दिनांक 15.02.2016 की प्रति अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कराहल को दिनांक 27.02.2016 को प्रस्तुत की गई थीं, तथा एक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध 9039–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा (2) 12 अवमानना अधिनियम बावत प्रकरण कमांक 3383–एक/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.2.16 के उल्लंघन बावत प्रस्तुत किया गया है। 2–आवेदक के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि यह प्रकरण दिनांक 6.4.16 से संचालित है, दिनांक 21.3.18 को अंतिम बहस भी हो चुकी है, बहस के दौरान पेनल के अधिवक्ता द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता कोई जबाव प्रस्तुत नहीं कर सके। 3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया। विचारोपरांत वर्तमान स्थिति के संबंध में किसी प्रकार का जबाव प्रस्तुत नहीं। अतः प्रकरण सारहीन होने से अग्राह किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	